कार्यालय राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.14( )आर–कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बकाया दायित्व/2022–23/ दिनांक :

बजट आवंटन आदेश– 65

वर्ष 2022–23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या– **APO Item No 55: Pending Liability of the year 2021-22 (NPV)** में वर्णित बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अधीनस्थ वन मण्डलो को IFMS के माध्यम से निम्न बजट मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & Wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net present value of forest land
(01)- Compensatory Afforestation
12- Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.O. Item No. 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV)

(Amount in Lacs)

S.No.	Name of division	APO item name of year 2021-22	Target Physical	Target Financial	Achievement Physical	Achievement Financial	Pending Liability: Bills sent to Treasury but remain unpaid	Pending Liability: Bills not Prepared against work done done up to 31.3.2022	Total (8+9)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उ.व.सं. उदयपुर	25 : Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) : (ii) committed (3rd year)	200	3.88200	200	3.62400	0.13860	0.00000	0.13860	उ.व.सं. उदयपुर के पत्रांक 4129 दिनाक 16.05.2022 के क्रम में
	Total								**0.13860**	

सामान्य शर्तें

1 बकाया दायित्व का भुगतान उसी मद में पूर्व में किये गये आवंटन से अधिक नहीं किया जावें एवं इससे सृजित परिसम्पति को दर्शाया जावें।
2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ./2022–23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915–27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
3 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
4 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines व Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नही हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
7 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
8 आवंटित राशि जिस उद्‌देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्‌देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।

12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।

13 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावें जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नही हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।

14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावें एवम् विभाग की प्रचलित प्रद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

15 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

—sd—

(शिखा मेहरा)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 15/11/2022

क्रमांकः एफ.14( )आर-कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बकाया दायित्व/2022-23/ 7986-93

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास राजस्थान, जयपुर।
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3 मुख्य वन संरक्षक -उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यो का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चत
4 उप वन संरक्षक -- उदयपुर।
5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।
7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा)
राजस्थान, जयपुर।